–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 2/2020

उनवान

1. जयराम पुत्र रामचन्द्र,
2. रामलाल पुत्र रामचन्द्र,
3. नाथी पत्नी बालू,
4. कमला पुत्री बालू,
5. श्योराम पुत्र बालू,
6. सीमा पुत्री बालू,
7. हेमा पुत्री बालू,
8. सम्पत पत्नी सजनलाल,
9. दिनेश,
10. मनीष
11. कमलेश ना.बा. पि0 सजनलाल जरियें संरक्षिका सम्पत पत्नी सजन माता,
12. गीता पत्नी रजबलाल,
13. शिवराज पुत्र रजबलाल
14. सरोज पुत्री रजबलाल,
15. सुरज्ञान पुत्री रजबलाल ना.बा. जरियें संरक्षिका सम्पत पत्नी सजन माता,
    समस्त जाति भांबी नि0 कानपुरा ,नसीराबाद

—— वादीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. चेतन प्रकाश पुत्र रामानन्द,
2. छोटी देवी पत्नी रामानन्द,
3. दर्शनकुमार पुत्र रामानन्द,
4. पूसालाल,
5. सूरजकरण,
6. हरदीन पि0 छगना जाति जाट नि. कानपुरा, नसीराबाद
7. मैनजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया तिहारी
8. उप पंजीयक नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 8 व 9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:06 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.5.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
2461	3—8—0	2682	1—14—0	2964	0.28
		4031	1—14—0	2963	0.19
				2956	0.08

उपरोक्त आराजी सन फसली सवंत 1349 में खाता संख्या 9 व चौसाला जमाबंदी सवंत 2020 से 2023 के खाता संख्या 394 में चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 3—8—0 वादीगण के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति बलाई के नाम दर्ज था। उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 3—8—0 में से 1/2 हिस्सा 1—14—0 भूमि के खातेदार रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति बलाई द्वारा बालूराम व मोहनलाल पि. गणेशीलाल कौम महाजन को बैचान किया गया। चौसाला जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में उक्त आराजी केतागण के नाम दर्ज की गयी। केतागण बालूराम व मोहनलाल पि. गणेशीलाल कौम महाजन द्वारा उक्त आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामानन्द व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को किया गया। नामान्तकरण संख्या 649 से चौसाला जमाबंदी सवंत 2024 से 2027 में उक्त विकक्रय पत्र का अंकन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 1—14—0 पर वादीगण व चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 1—14—0 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 काबिज मालिक स्वामी चले आ रहे है। बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी का गलत अंकन कर दिया है। वंर्किग खसरा नम्बर 2682 रकबा 1—14—0 वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम व वंर्किग खसरा नम्बर 4031 रकबा 1—14—0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय वादीगण के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार हालल खसरा नम्बर 2964 त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम व हाल खसरा नम्बर 2963 व 2956 वादीगण के नाम दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज मौके के अनुसार किये जाने हेतु उक्त वाद पेश किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपवूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी करने व अन्यत्र हहस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का इन्द्राज दुरूस्त किया जावपे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। ग्राम कानपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 2682 रकबा 11—14—0 के हाल खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.28 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम व वंर्किग खसरा ननम्बर 4031 रकबा 1—14—0 के हाल खसरा नम्बर 2963 रकबा 0.19 व 2956 रकबा 0.08 वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी आराजी का चौसाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:06 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 2461 रकबा 3–8–0 था। उक्त आराजी के मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति बलाई के नाम दर्ज था। उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 3–8–0 में से 1/2 हिस्सा 1–14–0 भूमि के खातेदार रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति बलाई द्वारा बालूराम व मोहनलाल पि. गणेशीलाल कौम महाजन को बैचान किया गया। चौसाला जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में उक्त आराजी केतागण के नाम दर्ज की गयी। केतागण बालूराम व मोहनलाल पि. गणेशीलाल कौम महाजन द्वारा उक्त आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामानन्द व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को किया गया। नामान्तकरण संख्या 649 से चौसाला जमाबंदी सवंत 2024 से 2027 में उक्त विककय पत्र का अंकन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 1–14–0 पर वादीगण व चौसाला खसरा नम्बर 2461 रकबा 1–14–0 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 काबिज मालिक स्वामी चले आ रहे है। वादीगण का कथन है कि हाल व वंर्किग राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है अर्थात वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम व प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण के नाम अंकित कर दी है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का चौसाला खसरा नम्बर ही कय किया था। वंर्किग खसरा नम्बर 2682 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा को कय किये गये विकय पत्र की प्रति वादीगण द्वारा पेश नही की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 2461 का कौन सा हिस्सा कय किया था यह वादीगण स्पष्ट नही कर सके। वर्तमान इद्राज वंर्किग जमाबंदी के समय से ही है तथा उसके उपरान्त हाल राजस्व अभिलेख में भी भूमि वंर्किग जमाबंदी अनुसार ही दर्ज है। बिना किसी ठोस आधार व दस्तावेज के वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। । वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.28 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जयराम बनाम चेतन प्रकाश

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –2/2020
पेश करने की दिनांक – 06.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.28 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:06 IST
Reason: SelfAttested